

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2021—माघ 9, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चुम्पन यादव आत्मज श्री शत्रुहन यादव, उम्र 37 वर्ष, निवासी-7/22, अटल आवास, नेहरू नगर, पूर्व भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व शाला दाखिला में मेरा नाम चिम्पन लाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम चुम्पन यादव रख लिया हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे चुम्पन यादव आत्मज श्री शत्रुहन यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

चिम्पन लाल
पिता-श्री शत्रुहन यादव
निवासी-7/22, अटल आवास,
नेहरू नगर, पूर्व भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

चुम्पन यादव
पिता-श्री शत्रुहन यादव
निवासी-7/22, अटल आवास,
नेहरू नगर, पूर्व भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वैभव जालानी आत्मज श्री पवन कुमार जालानी, उम्र 18 वर्ष, निवासी-प्लॉट नं.-14, ब्लॉक नं.-22, नेहरू नगर (वेस्ट), वीटीसी, मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व ड्रायविंग लायसेंस में मेरे पिता का नाम पवन जालानी दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम पवन कुमार जालानी है जो कि उनके दस्तावेजों-आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस एवं पासपोर्ट में दर्ज है। मैं मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता के अपूर्ण नाम को परिवर्तित कर वास्तविक पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे वैभव जालानी (Vaibhav Jalani) आत्मज श्री पवन कुमार जालानी (Shri Pawan Kumar Jalani) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

वैभव जालानी

(Vaibhav Jalani)

पिता-श्री पवन जालानी

(S/o-Shri Pawan Jalani)

निवासी-प्लॉट नं.-14, ब्लॉक नं.-22,

नेहरू नगर (वेस्ट), वीटीसी,

मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई,

तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

वैभव जालानी

(Vaibhav Jalani)

पिता-श्री पवन कुमार जालानी

(S/o-Shri Pawan Kumar Jalani)

निवासी-प्लॉट नं.-14, ब्लॉक नं.-22,

नेहरू नगर (वेस्ट), वीटीसी,

मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई,

तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. शेख इफ्तेशाम आत्मजा शेख जहरूल हक, उम्र 23 वर्ष, निवासी-पंचशील नगर पश्चिम, वार्ड क्रमांक-19, सत्संग विहार रोड, पोस्ट बी. एम. वाय. चरोदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम Ku. Shaikh Iftesham आत्मजा Shaikh Jahar Ul Haque दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम Saikh Jaharul Haque है, मैंने अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा वास्तविक नाम कु. शेख इफ्तेशाम Ku. Shaikh Iftesham आत्मजा शेख जहरूल हक (Saikh Jaharul Haque) दर्ज करवाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे (Ku. Shaikh Iftesham) आत्मजा शेख जहरूल हक (Saikh Jaharul Haque) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कु. शेख इफ्तेशाम

(Ku. Shaikh Iftesham)

पिता-Shaikh Jahar Ul Haque

निवासी-पंचशील नगर पश्चिम,

वार्ड क्रमांक-19,

सत्संग विहार रोड,

पोस्ट-बी. एम. वाय. चरोदा,

तहसील- पाटन,

जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कु. शेख इफ्तेशाम

(Ku. Shaikh Iftesham)

पिता-शेख जहरूल हक

(D/o-Saikh Jaharul Haque)

निवासी-पंचशील नगर पश्चिम,

वार्ड क्रमांक-19,

सत्संग विहार रोड,

पोस्ट-बी. एम. वाय. चरोदा,

तहसील- पाटन,

जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ताहा भारमल आत्मज श्री मुनव्वर अली भारमल, उम्र 20 वर्ष, निवासी-कश्यप कालोनी, गली नं.-05, सूर्या होटल रोड, बिलासपुर (छ. ग.) का निवासी हूँ। यह कि मेरे कक्षा 10वीं एवं महाविद्यालयीन शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम ताहा भारमल आ. श्री मुननवर भारमल (Munavver Bharmal), ताहा भारमल आ. श्री मुनव्वर भारमल (Munavvar Bharmal) दर्ज है जिसमें मेरे पिता का नाम अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है। जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम श्री मुनव्वर अली भारमल (Munavvar Ali Bharmal) है। मैं अपने पिता के वास्तविक नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे ताहा भारमल (Taha Bharmal) आत्मज श्री मुनव्वर अली भारमल (Shri Munavvar Ali Bharmal) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

ताहा भारमल
(Taha Bharmal)
पिता-श्री मुननवर भारमल
(S/o-Shri Munavver Bharmal)
श्री मुनव्वर भारमल
(Shri Munavvar Bharmal)
निवासी-कश्यप कालोनी,
गली नं.-05, सूर्या होटल रोड, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

ताहा भारमल
(Taha Bharmal)
पिता-श्री मुनव्वर अली भारमल
(S/o-Shri Munavvar Ali Bharmal)
निवासी-कश्यप कालोनी,
गली नं.-05, सूर्या होटल रोड, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमीषा शर्मा आत्मजा श्री चन्द्रभूषण शर्मा, उम्र 20 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-21/सी/02, बालको नगर कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम अमीषा भूषण आत्मजा चन्द्रभूषण प्रसाद शर्मा था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम चन्द्रभूषण शर्मा है। मैं अपने उपनाम “भूषण” को परिवर्तित कर अन्य उपनाम “शर्मा” जोड़कर नया नाम अमीषा शर्मा रख ली हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे अमीषा शर्मा (Amisha Sharma) आत्मजा श्री चन्द्रभूषण शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अमीषा भूषण
(Amisha Bhushan)
पिता-श्री चन्द्रभूषण प्रसाद शर्मा
निवासी-क्वा. नं.-21/सी/02,
बालको नगर कोरबा,
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.)

नया नाम

अमीषा शर्मा
(Amisha Sharma)
पिता-श्री चन्द्रभूषण शर्मा
निवासी-क्वा. नं.-21/सी/02,
बालको नगर कोरबा,
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रघुवीर प्रसाद पाटिल आत्मज स्व. डी. एल. पाटिल, उम्र 55 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-20/बी, सड़क नं.-31, वार्ड नं.-43, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रघुवीर अहिरवार (Raghuveer Ahirwar) तथा रघुवीर प्रसाद (Raghuveer Prasad) तथा मेरे कुछ अन्य दस्तावेजों में रघुवीर प्रसाद पाटिल (Raghuveer Prasad Patil) दर्ज है जो अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम रघुवीर प्रसाद पाटिल (Raghuveer Prasad Patil) है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम को, मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे रघुवीर प्रसाद पाटिल (Raghuveer Prasad Patil) आत्मज स्व. डी. एल. पाटिल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
रघुवीर अहिरवार (Raghuveer Ahirwar)	रघुवीर प्रसाद पाटिल (Raghuveer Prasad Patil)
रघुवीर प्रसाद (Raghuveer Prasad)	पिता- स्व. डी. एल. पाटिल
रघुवीर प्रसाद पाटिल (Raghuveer Prasad Patil)	निवासी-क्वा. नं.-20/बी, सड़क नं.-31, वार्ड नं.-43, सेक्टर-4, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिता- स्व. डी. एल. पाटिल	
निवासी-क्वा. नं.-20/बी, सड़क नं.-31, वार्ड नं.-43, सेक्टर-4, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जयलाल यादव आत्मज श्री धन्नू लाल, उम्र 33 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर-59, कातुलबोड़, सी. ए. एफ. लाईन, यादव पारा, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं 43, Armoured Regiment Jaisalmer Rajasthan Rank आर्मी में कार्यरत हूँ। मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड, अन्य समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा नाम जयलाल (Jaylal) दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “यादव” जोड़कर नया नाम जयलाल यादव रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे जयलाल यादव (Jaylal Yadav) आत्मज श्री धन्नू लाल (Shri Dhannu Lal) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
जयलाल (Jaylal)	जयलाल यादव (Jaylal Yadav)
पिता- श्री धन्नू लाल (S/o-Shri Dhannu Lal)	पिता- श्री धन्नू लाल (S/o-Shri Dhannu Lal)
निवासी-वार्ड नंबर-59, कातुलबोड़, सी. ए. एफ. लाईन, यादव पारा, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	निवासी-वार्ड नंबर-59, कातुलबोड़, सी. ए. एफ. लाईन, यादव पारा, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ढेला बाई साहू ध. प. श्री मनहरण लाल साहू, उम्र 53 वर्ष, निवासी-मकान नं.-30, वार्ड नं.-1, पुरई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है। उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम ढेला बाई दर्ज है जो अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “साहू” जोड़कर नया नाम ढेला बाई साहू रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती ढेला बाई साहू (Smt. Dhela Bai Sahu) ध. प. श्री मनहरण लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती ढेला बाई
(Smt. Dhela Bai)
पति- श्री मनहरण लाल साहू
निवासी-मकान नं.-30,
वार्ड नं.-1, पुरई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती ढेला बाई साहू
(Smt. Dhela Bai Sahu)
पति- श्री मनहरण लाल साहू
निवासी-मकान नं.-30,
वार्ड नं.-1, पुरई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामकुमार धनकर आत्मज श्री भूवनलाल धनकर, उम्र 44 वर्ष, निवासी-128/2, नंदौरी, पो. जंजगिरी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे पेनकार्ड में मेरा नाम रामकुमार आ. भूवनलाल दर्ज है जो कि अपूर्ण है जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम भूवनलाल धनकर है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “धनकर” जोड़कर नया नाम रामकुमार धनकर आ. श्री भूवनलाल धनकर रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे रामकुमार धनकर आत्मज श्री भूवनलाल धनकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रामकुमार
पिता- श्री भूवनलाल
निवासी-128/2, नंदौरी,
पो. जंजगिरी,
तहसील-धमधा,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

रामकुमार धनकर
पिता- श्री भूवनलाल धनकर
निवासी-128/2, नंदौरी,
पो. जंजगिरी,
तहसील-धमधा,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय-उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धमतरी
संयुक्त कार्यालय भवन, कक्ष क्रमांक-25, कलेक्टोरेट के पास

धमतरी, दिनांक 28 नवम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/805 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2018/455 धमतरी दिनांक 15-03-2018 के द्वारा अंकुर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-136 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. जी. गोस्वामी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए अंकुर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-136 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 28-11-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 28 नवम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/806 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2015/80 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा राजलक्ष्मी कृषि विकास सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-144 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री राकेश कुमार चाण्डक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए राजलक्ष्मी कृषि विकास सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-144 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 28-11-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 28 नवम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपध/परिसमापन/2020/807 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपध/परिसमापन/2018/143 धमतरी दिनांक 31-01-2018 के द्वारा श्री संजीवनी साख सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-204 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री बेदप्रकाश साहू, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए श्री संजीवनी साख सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-204 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 28-11-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 28 नवम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपध/परिसमापन/2020/808 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपध/परिसमापन/2015/71 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, जवरंगांव पंजीयन क्रमांक-39 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्रीमती संगीता सिन्हा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, धमतरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, जवरंगांव, पंजीयन क्रमांक-39 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 28-11-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

पीताम्बर ठाकुर
उप पंजीयक.